संख्या- 140 /2023 / 905 /चार-2023-11 (बजट)/ 2018

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 22 मार्च, 2023

विषय:- पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित गुरू गोरक्षनाथ शोध पीठ भवन के उर्जीकृत हेतु प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या-4599/सं0नि0-6(131)/2018-19 दिनांक 21 मार्च, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित गुरू गोरक्षनाथ शोध पीठ भवन के उर्जीकृत हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 1,39,35,157.00 (रूपये एक करोड़ उनतालीस लाख पैंतीस हजार एक सौ सत्तावन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) शासनादेश संख्या- 144/ 2018/ 3843/ चार-2018- 11(बजट)/ 2018 दिनांक 28 नवम्बर 2018, शासनादेश संख्या- 58/ 2020/ 449/ चार-2020- 11(बजट)/ 2018 दिनांक 18 फरवरी, 2020, शासनादेश संख्या- 144/ 2020/ 1563/ चार-2020-11(बजट)/2018 दिनांक 06 नवम्बर 2020 तथा शासनादेश संख्या- 40/ 2021/ 505/ चार-2021-11(बजट)/ 2018 दिनांक 10 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति- 800-अन्य व्यय- 43-पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 140 /2023 / 905 /चार-2023-11 (बजट)/ 2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- कुलपति, पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोरखपुर।
7- उप निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर (नोडल आफिसर- संस्कृति)।
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (ई-7) अनुभाग/ नियोजन अनुभाग-4, उ0 प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।